न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूंगरपुर (राज.)
नाम पीठासीन अधिकारी :— श्री दिपेन्द्रसिंह राठौर (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, सागवाडा, जिला डूंगरपुर (राज.)

प्रकरण संख्या :— 21/2014

दायर दिनांक:— 26/08/2014
निर्णय दिनांक:— 03/06/2015

1:— श्री धना पिता केवला परमार जाति मीणा उम्र 82 वर्ष पेशा काश्त निवासी बडगामा तह. सागवाडा, जिला डूंगरपुर राजस्थान।

—वादी—

बनाम

1:—श्री हकरा पिता केवला परमार जाति मीणा उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी बडगामा तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर राज.।
2:—श्री कान्तिलाल पिता केवला परमार जाति मीणा उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी बडगामा तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर राज.।
3:—श्रीमान राजस्थान सरकार भूमिधारी मार्फत तहसीलदार तहसील कार्यालय सागवाडा जिला डूंगरपुर राज.।

—प्रतिवादी—

वाद अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट बाबत बटंवारा।

वादी के वाद का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण नं 1 व 2 एक ही जाति परिवार व गांव के होकर आपस में सह खातेदार काश्तकार एवं भाई है। वादी व प्रतिवादीगण नं 1 से 2 के सयूंक्त खाते व कब्जे काश्त की पैतृक जमीन मौजा बडगामा पटवार हल्का डेचा तहसील सागवाडा के खतौनी संवत् 2068—2071 के खाता नं 69 (नया) व 64 (पुराना) में कुल खेत तेरह (29) कुल रकबा चौंतीस (34) बिघा छः (6) बिस्वा स्थित है जिस पर वादी अपने पिता के समय से ही 1/3 हिस्से पर निरन्तर बेरोक टोक कब्जा काश्त करता आ रहा है। वादी व प्रतिवादीगण की यह पैतृक कृषि भूमि है तीनों के बीच पारिवारिक रूप से बटंवारा हो चुका है और तीनो ही विगत 40 वर्षो से अपने अपने हिस्सें पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है परन्तु विगत एक साल से प्रतिवादीगण वादी के साथ भूमि के बंटवारे को लेकर आये दिन झगडा फसाद करते रहते है एवं वादी को अपने कब्जे काश्त की जमीन पर काश्त करने से रोकते रहते है। वादी व प्रतिवादीगण का संयूक्त खाता होने से विवाद बीच बटंवारा किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। वादी अपने हिस्से की जमीन को अधिक उपजाउ बनाने के लिए बैक से ऋण लेना चाहता है परन्तु उक्त जमीन का खाता शामलाती होने से वादी अपने हिस्से की जमीन पर ऋण नहीं ले पा रहा है। वाद कारण आज से 15 दिन पूर्व उस समय उत्पन्न हुआ जब वादी अपने हिस्से की जमीन में फसल की कटाई कर रहा था तब प्रतिवादीगण बिना किसी कारण से विवाद व लडाई झगडा करने लगे व वादी को अपने हिस्से की भूमि पर काश्त करने से रोकने लगे। मौजा बडगामा पटवार हल्का डेचा तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर के खतौनी संवत् 2068—2071 के खाता नं 69 बिघा छः बिस्वा में वादी का 1/3 हिस्सा प्रतिवादीगण से अलग कर राजस्व रेकार्ड में वादी का खाता अलग से दर्ज कराने की प्रारम्भिक डिकी पारित की जावें।

Scanned by CamScanner

प्रतिवादीगण मय वकील अनुपस्थित रहने पर दिनांक 24/11/2015 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत न कर एकतरफा बहस सुनने हेतु निवेदन किया। वकील वादी की एकतरफा बहस समाप्त की गई। निर्णय निम्नानुसार है।—

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के साथ संलग्न जमाबन्दी संवत् 2068—2071 के अनुसार खाता सं 69 नया 64 पुराना में कुल खसंरा 29 कुल रकबा 34 बिघा 6 बिस्वा वादी एवं प्रतिवादी सं 1 व 2 के शामलाती खाते में दर्ज है। चूंकि वादी रिकार्डेड सहखातेदार है अतः वादी का वाद डिक्री किया जाता है तथा वादी का 1/3 हिस्सा प्रतिवादीगण से अलग बटंवारा कर पृथक हिस्सा कायम करने का आदेश दिया जाता है। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फेसल शुमार हों।

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner